2023/176

श्रीमान्‌जी

निवेदन है कि श्रीमान्‌ जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान्‌ जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र श्यामाराम जाति नायक निवासी वा.नं. 3 चक 23 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद, सदस्य प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र मय वारिस सदस्य का शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरे पिता श्यामाराम पुत्र मेघाराम जाति नायक निवासी 23 जीजी तहसील व जिला– श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 22.02.2021 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 04.02.2023 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान रामजी लाल पुत्र श्यामाराम एवं शेर सिंह पुत्र रूप सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहलु श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय